

मैसर्स मूमल मार्बल्स प्रा०लि०, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,  
वार्ड प्रथम, वृत्त बी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक  
श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 259/वेट/ /09-10 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त बी, उदयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.03.2010 के जरिये कायम की गयी मांग राशि आगत कर रूपये 4,74,993/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एक खनन उद्यमी है। जिसकी मार्बल चिराई मशीन भी लगी हुई है। जिससे मार्बल चिराई का जॉब वर्क पंजीकृत व्यापारियों के लिया किया गया। इस हेतु अपीलार्थी ने केपिटल गुडस खरीदा, उस पर आगत कर चाहा गया। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का कार्य खनन से संबंधित होना अवधारित किया है और खनन पर आगत कर देय नहीं है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी एक खनन उद्यमी है। जिसकी मार्बल चिराई मशीन भी लगी हुई है। जिससे मार्बल चिराई का जॉब वर्क पंजीकृत व्यापारियों के लिया किया गया। इस हेतु अपीलार्थी ने केपिटल गुडस खरीदा, उस पर आगत कर चाहा गया। सशक्त अधिकारी द्वारा आगत कर को अस्वीकार किया है कि खनन पर आगत कर देय नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा खनन सम्बन्धित प्रक्रिया हेतु केपिटल गुडस पर आगत कर नहीं मांगा है। प्रत्यर्थी द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त केपिटल गुडस के जॉबवर्क पर आगत कर मांगा है, लेकिन यह निर्माण प्रत्यर्थी ने अपने लिये नहीं किया है दूसरे पंजीकृत व्यवसायों के लिये जॉबवर्क किया है, जिस पर आगत कर देय है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा खनन कार्य में प्रयुक्त माल पर आगत कर नहीं मांगा है, लेकिन निर्माण सम्बन्धी केपिटल गुड्स पर यह निर्माण स्वयं के लिये नहीं किया है दूसरे के लिये जॉबवर्क किया है तथा अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का वेट बिक्री पर नहीं चुकाया है। अधिनियम की धारा 18 निम्नप्रकार है :-

VAT Act, 2003 U/s input tax credit -

(1) input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase or any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- sale within the State of Rajasthan; or
- sale in the course or inter-State trade and commerce; or
- sale in the course of export outside the territory of India; or
- being used as packing material of goods, other than exempted goods, for sale; or
- being used as raw material in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce; or
- being used as raw material in the manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- being used in the State as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods

व्यवसायी ने मार्बल्स चिराई का जॉब वर्क अन्य व्यापारियों के लिए किया है। अतः केपिटल गुड्स का प्रयोग जॉब वर्क के कार्य में किया गया है। धारा 18 के अनुसार इस प्रकार के जॉब वर्क के कार्य हेतु आगत कर अनुज्ञेय नहीं है। क्योंकि जॉब वर्क के कार्य में व्यवसायी ने किसी कर योग्य वस्तु का निर्माण कर उसका विक्रय नहीं किया है। इसके अलावा व्यवसायी का खनन का कार्य भी है। जिसमें प्रयुक्त मशीनरी एवं पार्ट्स पर आगत कर अनुज्ञेय नहीं है। धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार कर चुका कर कच्चे माल के रूप में क्रय किए गए माल का विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नवीन वस्तु का निर्माण कर, कर योग्य माल के रूप में विक्रय किए जाने की स्थिति में ही चुकाए गए वेट का आगत कर अनुज्ञेय है। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉब वर्क के निष्पादन एवं स्वयं के माल के विनिर्माण में प्रयुक्त Consumable items पर चुकाए गए वेट का आगत कर अनुज्ञेय होगा।

माईनिंग के काम आने वाली मशीनरी पर भी आगत कर अनुज्ञेय नहीं है जैसा कि माननीय कर बोर्ड ने निम्न न्यायिक निर्णयों में कहा है :-

- हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर बनाम एसी विशेष, उदयपुर (2014) 38 टीयूडी 278
- एशियन माईनिंग एसोसिएशन बांसवाडा बनाम एसी बांसवाडा (2014) 39 टीयूडी 293
- सीटीओ प्रतिकरापवंचन द्वितीय राज. बनाम बिनानी सीमेन्ट सिरोही (2014) 40 टीयूडी 13
- अशोक मिनरल्स उदयपुर बनाम सीटीओ स्पेशल उदयपुर 40 टीयूडी 156

इस प्रकार व्यवसायी को जॉब वर्क एवं खनन कार्य हेतु क्रय किये गए माल पर नियमानुसार आगत कर अनुज्ञेय नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य